न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–71 / 2023

जी.सी.एम.एस नं.–2023 / 193

नवजीतसिंह पुत्र साहबसिंह जाति जटसिख निवासी चक 55 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–––वादी

बनाम्

1. साहबसिंह पुत्र हरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी चक 55 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. जगतारसिंह पुत्र हरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी चक 55 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. कुलवंतकौर पत्नी हरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी चक 55 जीबी तहसील अनूपगढ़जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–––––प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

उपस्थित–

1. श्री नारायणसिंह कामराम अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री राकेश कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी सं.–1 ता 3 की ओर से

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

–:: निर्णय ::– **दिनांकः–** 08/06/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विवादित कृषि भूमि वाके चक 55 जीबी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–15 पत्थर नं.–232 / 459 का किला नं.–2 / 1, 2 / 2, 3 / 1, 3 / 2, 4 / 1, 4 / 2, 5 / 1, 5 / 2, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 25 में 3.0360 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी नहरी रकबा व चक 56 जीबी (बी) मुरब्बा नं.–16 पत्थर नं.–232 / 461 का किला नं. –1 / 10, 11 / 1, 20 / 1, 21 / 1 में 0.4020 हैक्टर नाली दोयम कृषि भूमि का किस्म के अनुसार खाला, रास्ता आदि सुविधाओं के मध्यनजर खाता विभाजन किया जाकर वादी 1 / 3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा चक 55 जीबी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–15 पत्थर नं.–232 / 459 का किला नं.–7, 8, 9, 17, 24 में 1.265 हैक्टर नहरी कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि जो वादी के भाई व प्रतिवादी सं.–1 के नाम से सयुंक्त खाता में दर्ज है, का किस्म के अनुसार खाला, रास्ता के मध्यनजर खाता विभाजन किया जाकर वादी का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने बाबत प्रतिवादी सं.–4 को आदेशित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने **प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी** पेश कर निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि वादी द्वारा अपने वाद पत्र के जरिए कृषि भूमि वाके चक 55 जीबी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–15 पत्थर सं.–232 / 459 का किला नं.–2 / 1, 2 / 2, 3 / 1, 3 / 2, 4 / 1, 4 / 2, 5 / 1, 5 / 2, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 25 में 3.0360 हेक्टर कमाण्ड खातेदारी नहरी रकबा व चक 56 जीबी (बी) मुरब्बा नं.–16 पत्थर सं.–232 / 461 का किला नं–1 / 1, 10 / 1, 11 / 1, 20 / 1, 21 / 1 में 0.4020 हैक्टर नाली दोयम कृषि भूमि व सयुक्त खाता की कृषि भूमि मुरब्बा नं.–15 पत्थर सं.–232 / 459 का किला नं.–7, 8, 9, 17, 24 में 1.2650 हेक्टर नहरी कमाण्ड खातेदारी कृषि के संबंध में अनुतोष चाहा गया है। जिसमे संबंध में

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का निवेदन है कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं.–1 की स्वअर्जित खातेदारी कृषि भूमि है इसलिए वादी, प्रतिवादी सं.–1 के जीवनकाल में उसकी खातेदारी कृषि भूमि पर कोई अनुतोष प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी नही है। पिता के जीवनकाल में वादी को कोई अधिकार अर्जित नहीं हो सकते है। वादग्रस्त कृषि भूमि हिन्दू खानदान की अविभाजित सम्पतिं यानि वादी की पैतृक सम्पतिं नही है तंथा ना ही वादी सहदायिक है। कानूनन यदि प्रतिवादी सं.–1 के पिता को अपने परदादा से वादग्रस्त कृषि भूमि प्राप्त होती तथा प्रतिवादी सं.–1 को चोथी स्टेज पर विरास्तन प्राप्त होती तब ही विवादित कृषि भूमि पैतृक हो सकती थी। इस प्रकार से विवादित कृषि भूमि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सम्पतिं नही है तथा ना ही वादी विवादित कृषि भूमि का सहदायिक है इसलिए वादी प्रतिवादी सं.–1 के जीवनकाल मे वादग्रस्त कृषि भूमि का कोई हिस्सा प्राप्त करने का कानूनी रूप से अधिकारी नही है। इसलिए वादी को उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार नही है। वादी का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज योग्य है।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी/अप्रार्थी ने निवेदन किया कि हैं वादी द्वारा वाद पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत करना तथा खातेदारी कृषि भूमि के संबंध में अनुतोष चाहना स्वीकार शेष तथ्य गलत बयानी होने के कारण अस्वीकार है। प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई भी दस्तावेज सबुत प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं.–1 की स्वअर्जित खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हित निहित है। वादी ने अपने वाद पत्र में स्पष्ट दर्ज किया है कि उक्त कृषि भूमि हिन्दू खानदान की अविभाजित सम्पतिं यानी पैतृक सम्पतिं है जिसमें वादी सहदायिकी है तथा वादी का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से हित निहित है। उक्त कृषि भूमि वादी के परदादा के नाम से थी तथा परदादा के देहांत के बाद उक्त भूमि वादी के दादा को प्राप्त हुई तथा वादी के दादा से बंटवारा में उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं.–1 को प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं.–1 की स्वअर्जित सम्पतिं नहीं है तथा ना ही स्वअर्जित भूमि होने के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेजी सबुत प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण ने मिथ्या तथ्यो पर केवल मात्र प्रकरण देरीना करने के आश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्ती योग्य है। इसलिए उक्त परिस्थितियो के मध्य नजर वादी का वाद कतई विधि विरुद्ध नहीं है बल्कि वाद वादी विधि सम्मत है।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। वादी के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील <u>वादी/प्रतिवादी</u> सं.–1 ता 3 ने अपनी मौखिक बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि प्रतिवादी सं.–1 की स्वअर्जित खातेदारी कृषि भूमि है इसलिए वादी, प्रतिवादी सं.–1 के जीवनकाल में उसकी खातेदारी कृषि भूमि पर कोई अनुतोष प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी नही है। पिता के जीवनकाल में वादी को कोई अधिकार अर्जित नहीं हो सकते है। वादग्रस्त कृषि भूमि हिन्दू खानदान की अविभाजित सम्पतिं यानि वादी की पैतृक सम्पतिं नही है तथा ना ही वादी सहदायिक है। कानूनन यदि प्रतिवादी सं.–1 के पिता को अपने परदादा से वादग्रस्त कृषि भूमि प्राप्त होती तथा प्रतिवादी सं.–1 को चोथी स्टेज पर विरास्तन प्राप्त होती तब ही विवादित कृषि भूमि पैतृक हो सकती थी। इस प्रकार से विवादित कृषि भूमि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सम्पतिं नही है। वादी का वाद पोषणीय नहीं हैं तथा मौजूदा स्तर पर ही काबिल खारिज है। वादी का वाद पूर्णतयाः Frivolous एवं न्यायालय प्रक्रिया का दुरूपयोग है जो पोषणीय नहीं हैं तथा इसी स्तर पर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

काबिल खारिज है। उक्त वाद विधि विरूद्ध होने के कारण माननीय न्यायालय मे पोषणीय नहीं है। वादी का वाद पत्र मय हर्जा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अतः उक्त विवेचन के क्रम में न्यायालय की राय में पत्रावली में प्रतिवादी सं.–1 की स्वअर्जित खातेदारी कृषि भूमि है इसलिए वादी, प्रतिवादी सं.–1 के जीवनकाल में उसकी खातेदारी कृषि भूमि पर कोई अनुतोष प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी नही है। वादी का हस्तगत वाद पूर्णतयाः Frivolous एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होने के कारण एवं वाद के विधि द्वारा वर्जित होने से न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादीगण सं.–1 ता 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद नामंजूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी (प्रतिवादीगण सं.–1 ता 3) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार जाकर वादी का वाद पत्र निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 08/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
जिला श्रीगंगानगर